न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 204/17 **(वि.प्रा.पत्र)**

1. श्री गंगाराम पिता माना डांगी निवासी जुनावास तह. मावली।
2. श्री गणेशलाल पिता माना डांगी निवासी जुनावास तह. मावली।
3. श्री केशुलाल पिता माना डांगी निवासी जुनावास तह. मावली।
4. श्रीमती भोलीबाई पत्नी स्व. माना डांगी निवासी जुनावास तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम्

1. श्री खेमा पिता धन्ना डांगी निवासी जुनावास तह. मावली। फौत के बजाय :–

1/1 श्री तुलसीराम पिता खेमा डांगी निवासी जुनावास तह. मावली।

2. श्री छगनलाल पिता धन्ना डांगी निवासी जुनावास तह. मावली।
3. श्री पुष्कर पिता धन्ना डांगी निवासी जुनावास तह. मावली।
4. श्री निर्भयसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी राणावतों का गुडा तह. मावली।
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
6. श्री भेरा पिता दौला डांगी निवासी जुनावास तह. मावली।
7. श्री कन्नी पिता दौला डांगी फौत के बजाय :–

7/1 श्री मोतीलाल पिता कन्नीबाई पिता भगा डांगी निवासी सिन्दू तह. मावली।

7/2 पताबाई माता कन्नीबाई पिता भगा डांगी निवासी सिन्दू तह. मावली।

8. फुलकी पिता दौला डांगी निवासी जूनावास तह. मावली।
9. श्री लोगर पिता कन्ना डांगी निवासी जूनावास तह. मावली।
10. श्री रूपा पिता लाला डांगी (फौत) के बजाय :–

10/1 श्री मांगीलाल पिता रूपा डांगी निवासी जूनावास तह. मावली।

10/2 श्री पुष्कर पिता रूपा डांगी निवासी जुनावास तह. मावली।

10/3 लक्ष्मी पुत्री रूपा डांगी निवासी जूनावास तह. मावली।

10/4 रूपीबाई पत्नी रूपा डांगी निवासी जूनावास तह. मावली।

10/5 श्री बंशीलाल पिता रूपा डांगी (फौत) के बजाय :–

10/5/1 दुर्गा पत्नी बंशीलाल डांगी पिता कन्ना डांगी निवासी जुनावास हाल तारावतट तह. वल्लभनगर।

10/5/2 कचंन पिता बंशीलाल पत्नी कैलाश डांगी निवासी मन्देसर तह. वल्लभनगर।

11. श्री चैना पिता लाला डांगी निवासी जूनावास तह. मावली।
12. श्री डालु पिता लाला डांगी निवासी जूनावास तह. मावली।
13. श्री रूपा पिता लाला डांगी निवासी जूनावास तह. मावली।
14. श्री गोमा पिता लाला डांगी निवासी जूनावास तह. मावली।
15. श्रीमती प्यारी पत्नी हेमराज डांगी निवासी जूनावास तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 3
3. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 6
4. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 9, 11, 12, 14

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांक 10.01.2020

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व ग्राम जूनावास में स्थित होकर जिसके हाल आराजी नम्बर 3540 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 3541 रकबा 1.06 बीघा भूमि स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात की भूमि भाई बंटवाडे से प्रार्थीगण के हक हिस्से में आई हुई है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है उपरोक्त दोनों आराजीयात की भूमि की सिंचाई चाह नम्बर 3337 कुंए से होती है उक्त कुंए तक आने जाने के लिए रास्ता (सैर) बनी हुई है उससे आगे वादीगण अपने खेतो में आने के लिए प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 तक के खातेदारी की आराजी सं. 3528, 3529 से होकर कदीम से आ रहे है तथा अपने उक्त खेतो में खाद बीज लाने ले जाने के लिए उपरोक्त प्रतिवादीगण के खातेदारी की आराजी के पूर्व भाग में से होकर हल बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते रहे है उपरोक्त प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है और न ही मंजूर शुदा अन्य कोई रास्ता हैं। प्रतिवादी सं. 6 से 15 के आराजी सं. 3527 में से होकर प्रार्थीगण के आने जाने के लिए कथित तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता उपलब्ध हो सकता है इस तरह विकल्प के तौर पर प्रार्थीगण को उक्त आराजी मे से भी रास्ता प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी हैं।
2. उपरोक्त आराजी सं. 3528, 2529 प्रतिवादी सं. 1 से 4 तक के खातेदारी की है तथा उपरोक्त आराजीयात के पूर्वी भाग से करीब 9 फिट चौडाई एवं कुंए तक के लिए जाने के लिए प्रार्थी आते जाते रहते है तथा प्रार्थीगण अपने खेत में जाने के लिए तथा खेत की बुवाई करने के लिए हल ट्रेक्टर बैलगाडी आदि कदीम से लाते ले जाते रहे हैं।
3. यह कि दिनांक 25.06.2017 को प्रार्थीगण अपने उक्त आराजीयात की कृषि भूमि में उगाई करने के लिए हल ट्रेक्टर, बैलगाडरी ले जाने लगे तो विपक्षी सं. 1 से 4

तक ने प्रार्थीगण को उपरोक्त विपक्षीगण के खातेदारी की आराजी के पूर्वी भाग से आने जाने के लिए मना कर दिया तथा प्रार्थीगण को कहा कि आज के बाद हमारे खेत में न तो तुम स्वयं प्रवेश करोगें और ना ही हल बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि प्रवेश कराओगे प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को कहा कि हम हमारे खातेदारी की भूमि में आपके उक्त आराजीयात की भूमि के पूर्वी भाग से कुंए तक आते जाते रहे है तथा 9 फिट चौडाई तक रास्ते के रूप में भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं तथा प्रार्थीगण ने विपक्षीगण से सहमति से रास्ता प्रदान करने से भी निवेदन किया लेकिन विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि हमारे खेत में हाकर आइन्दा किसी तरह से प्रवेश नहीं करोगे और ना ही रास्ते के रूप में हमारे खेत के पूर्वी भाग को उपयोग उपभोग में लोगे इस तरह प्रार्थीगण क पास अपने खेतो में आने जाने के लिए उक्त विपक्षीगण के खातेदारी की भूमि के पूर्वी भाग के अलावा अन्य कोई उपलब्ध नहीं है और ना ही रेकार्डेड कोई रास्ता उपलब्ध है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अपने खेतों की बुवाई करने के लिए, खेतों में आने जाने के लिए हल बैलगाडी आदि लाने ले जाने के लिए विपक्षी सं. 1 से 4 तक के उक्त आराजी सं. 3528, 3529 के पूर्वी भाग में से 9 फीट चौडा तथा कुंए तक रास्ता प्रदान कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा तद्नुसार राजस्व अभिलेख में रास्ता कायम कराने के लिए प्रार्थीगण कानूनन अधिकारी हैं।

4. यह कि विपक्षीगण प्रार्थीगण को अपने खेतो में आने जाने के लिए उपरोक्त पूर्व की भांति विपक्षीगण के खातेदारी के पूर्वी भाग से आने जाने में बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा प्रार्थीगण को धमकी दे रहे है कि उपरोक्त विपक्षीगण के खातेदारी की भूमि के पूर्वी भाग को रास्ते के रूप में उपयोग नहीं करोंगे इस तरह प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के कानूनन अधिकारी है कि वो उपरोक्त आराजी सं. 3528, 3529 के पूर्वी भाग से आने जाने में किसी तहर की बाधा उत्पन्न नहीं करे और ये कार्य विपक्षीगण न तो स्वयं करे, ना ही अपने नौकर, एजेन्ट, उत्तराधिकारी व दिगर व्यक्तियों से करावें।
5. यह कि प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण दिनांक 25.06.2017 को पैदा हुआ जब विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात से होकर प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी में आने जाने से रोका उसके बाद वाद कारण विपक्षीगण के विरूद्व लगातार जारी हैं।
6. अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम जूनावास के आराजी सं. 3528, 3529 के पूर्वी भाग में 9 फीट

चौडा तथा कुंए के चाह नम्बर 3537 तक प्रार्थीगण को आने जाने के लिए हल बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए रास्ता प्रदान कराया जावे तद्नुसार राजस्व अभिलेख में नया रास्ता कायम फरमाया जावे। कि विकल्प के मौर पर प्रार्थीगण को आराजी संख्या 3527 में से आने जाने हेतु रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद फरमाया जावे। कि विपक्षीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वो प्रार्थीगण को आराजी नम्बर 3528, 3529 के पूर्वी भाग से होकर अपने खेतों में आने जाने के लिए हल बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करे, न ही कोई बाधा उत्पन्न करे यह कार्य विपक्षीगण न स्वयं करे, ना ही अपने नौकर, एजेन्ट उत्तराधिकारी से करावें।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 6 भेरा व 7/1 मोतीलाल द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 3541 व 3540 का बंटवाडा प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 से 4 के मध्य नहीं हुआ है तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भी यह तथ्य स्वीकार किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात सामलाती है ऐसी अवस्था में प्रार्थी द्वारा यह कहना गलत है कि उक्त आराजीयात का बंटवाडा हो गया है तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह भी स्वीकार किया है कि प्रार्थी के खातेदारी के आराजी नम्बर 3540 व 3541 की पिलाई आ.चा.नं. 3537 से होती है तथा आ. चा. 33537 तक आने जाने के लिए रास्ता (सेर) बनी हुई है तथा कुंए से आराजी नम्बर 3538 व 3539 से होते हुए अपनी आराजीयात में आते जाते है तथा प्रार्थीगणों ने आराजी नम्बर 3528 व 3529 से होते हुए अपनी आराजीयात में हल बैलगाडी ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते है आ.चा. नम्बर 3537 से प्रार्थीगणों को अपनी आराजीयात में जाने के लिए मात्र 50 फीट का रास्ता उपलब्ध हो वहां नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता हैं।
8. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण आ.चा.न. 3537 तक रास्ता (सेर) बनी हुई है व उक्त कुए से आराजी नम्बर 3538 व 3539 से अपनी आराजीयात में आते जाते है तो अलग से विकल्प के तौर पर आराजी नम्बर 3527 से नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है क्योंकि तहसीलदार मावली ने भी दो बार अपनी रिपोर्ट बनाई है जिसमें कही पर भी कुंए आ.चा. नम्बर 3527 तक आने का रास्ता नहीं बताया है ऐसी अवस्था में तहसीलदार की रिपोर्ट पर भी सयंश पैदा होता है क्योंकि तहसीलदार मावली को अपनी रिपोर्ट में

मौके पर उपलब्ध रास्ते का भी उल्लेख करना होता है जो तहसीलदार ने प्रार्थीगणों से मिलीभगत कर मौके की वास्तविक स्थिति को छिपाया है इसलिए सम्बन्धित तहसीलदार के विरूद्व कार्यवाही करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति को मंगवाना आवश्यक हैं।

9. प्रार्थीगण कुंए से अपनी आराजीयात में आने जाने के लिए आराजी नम्बर 3538, 3539 से अपनी आराजीयात में आने जाने के लिए आराजी नम्बर 3538, 3539 से अपनी आराजीयात में आते जाते है तथा आराजी नम्बर 3538 व 3539 के खातेदार विपक्षी सं. 1 से 3 हैं। इसलिए आराजी नम्बर 3538 व 3539 से प्रार्थीगणों को रास्ता दिया जाता है तो हम विपक्षी को कोई उजर नहीं है तथा प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में आराजी नम्बर 2529 बताए है जो गलत है क्योंकि आराजी नम्बर 2529 तो आस पास के आराजीयात ही नहीं है तो नया रास्ता देने का प्रश्न हीं नहीं उठता हैं।

10. यह कि प्रार्थी स्वयं अपनी आराजीयात में आने जाने के लिए आराजी नम्बर 3538 व 3539 से कुए आ.चा. तक आता जाता है तथा रास्ता भी आ.चा. तक मौके पर सेर बनी हुई है जिससे आता जाता है इसलिए अलग से रास्ता कानुनन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है क्योंकि कानुनन जहां रास्ता उपलब्ध हो वहां नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है तथा तहसीलदार मावली ने भी अपनी रिपोर्ट में कुए तक जो रास्ता सेर कायम है उससे नहीं बताया है इसलिए मौके की वास्तविक रिपोर्ट मंगवाई जाना आवश्यक हैं। जब प्रार्थीगणो को आने जाने के लिए पहले ही रास्ता उपलब्ध है तो नए रास्ते की डी एल सी की राशि जमा कराने का प्रश्न ही नही उठता हैं। प्रार्थी स्वयं अपने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रहा है ऐसी अवस्था में रास्ते को खोलने का श्रवणाधिकार आप न्यायालय को नहीं हैं।

11. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। यदि विकल्प तहसीलदार मावली से कुंए तक रास्ते के सम्बन्ध में नई वास्तविक मौका रिपोर्ट मगंवाई जाकर यदि प्रार्थीगणों को आ.चा. के आराजी नम्बर 3537 से आराजी नम्बर 3538 व 3539 से होते हुए अपनी आराजीयात में आने जाने के लिए रास्ता दिया जाता है तो हम विपक्षी को कोई एतराज नहीं हैं।

12. विपक्षी सं. 4, 7, 8, 10 एवं 15 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। शेष विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया।

13. हमने प्रकरण में तहसीलदार मावली से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की, जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट पत्र क्रमांक 1913 दिनांक 28.12.2017, पत्र क्रमांक 1539 दिनांक 16.10.18 पर विपक्षी को आपत्ति होने से पुनः नई रिपोर्ट प्राप्त की गई जो तहसीलदार मावली द्वारा पत्र क्रमांक 2072 दिनांक 16.09.19 से प्रस्तुत की गई। जो शामिल पत्रावली हैं।

14. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कुए तक जाने हेतु रास्ता दिये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

15. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

   प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की भूमि आराजी नम्बर 3540, 3541 में आने जाने हेतु विपक्षी द्वारा बताया जा रहा कुआ आराजी नम्बर 3537 रकबा 9 बिस्वा आ.चा. भूमि में प्रार्थीगण आने जाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। कुंए तक पहुंचने का मार्ग सीमेन्ट कंकडी से बना हुआ हैं। कुए के पास आराजी नम्बर 3538 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि जिसमें 2 गट्ठा चौडाई व 12 गट्ठा लम्बाई कुल 24 वर्ग गट्ठा अर्थात् 1 बिस्वा 4 विस्वांशी रास्ते के लिए एवं आराजी नम्बर 3539 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा में 2 गट्ठा चौडाई व 24 गट्ठा लम्बाई कुल 48 वर्ग गट्ठा अर्थात् 2 बिस्वा 8 विस्वांशी रास्ते के लिए बनता हैं। उक्त आराजी नम्बर 3538 व 3539 से होकर प्रार्थी कुए के आराजी तक पहुंच सकते है एवं कुए के बाद मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए रास्ता बना हुआ है जो राजस्व रेकार्ड में अंकित हैं। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं हैं।

2. क्या प्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जो रास्ता कायमी के लिए प्रस्तावित किया गया हैं। जो न्यूनतम दूरी का हैं।

3. यदि प्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं तो वह प्रस्तावित करें।

तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्याकंन प्रस्तुत करें।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण विपक्षीगण के आराजी नम्बर 3538 में से 1 बिस्वा 4 विशंवासी एवं आराजी नम्बर 3539 में से 2 बिस्वा 8 विशंवासी कुल ''13 फीट चौडाई X 238 फीट लम्बाई'' कुल 3094 वर्गफीट (3 बिस्वा 12 विशंवासी) भूमि रास्ते में आ रही है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 6,58,947/– अक्षरे छः लाख अठानवे हजार नौ सौ सैतालीस रूपयें प्रतिबीघा हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 3 बिस्वा 12 विशवांसी की कुल कीमत 1,02,137/– अक्षरे एक लाख दौ हजार एक सौ सैंतीस रूपयें होना बताया हैं।

16. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी आराजी नम्बर 3540 व 3541 में आने जाने हेतु जो रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया है। चुंकि मुख्य सडक से कुए तक पहुंचने का मार्ग बना हुआ है। कुए का उपयोग प्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा है इसलिए प्रार्थीगण कुए तक पहुंच कर मुख्य मार्ग तक आसानी से आ जा सकता हैं। रहा प्रश्न प्रार्थीगण के कुए तक पहुंचने का उसके लिए उसे विपक्षीगण के आराजी नम्बर 3538, 3539 में से होकर गुजरना पडता हैं। तहसीलदार मावली द्वारा भी उक्त आराजी में से होकर ही रास्ता प्रस्तावित किया है जो निकटतम दूरी का हैं। विपक्षी द्वारा भी अपनी बहस में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित रास्ता पर ही दिये जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। अतः तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ता जो कि न्यूनतम दूरी का हैं। जिसको ही कायम किया जाना न्यायहित में उचित हैं। उक्त रास्ते को कायम किये जाने पर प्रार्थी रास्ते के माध्यम से कुए तक पहुंच सकता है एवं कुए से मुख्य मार्ग का रास्ता बना हुआ हैं। अतः प्राथीगण को आने जाने के लिए नियमानुसार शुल्क पर रास्ता दिया जाना न्यायहीत में उचित है।

प्रार्थी से कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर की दुगुनी प्रतिकर लिया जाकर रास्ता दिया जाने का प्रावधान होने से प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता सशूल्क दिया जाना न्यायहित में उचित हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जूनावास, पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 3540 व 3541 भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी खातेदार की आराजी नम्बर 3538 में से 1 बिस्वा 4 विशंवासी एवं आराजी नम्बर 3539 में से 2 बिस्वा 8 विशवांसी भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक का रास्ता कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर 6,58,947/— अक्षरे छः लाख अठानवे हजार नौ सौ सैतालीस रूपयें प्रतिबीघा के हिसाब से प्रस्तावित रकबा विपक्षी खातेदारों की भूमि कुल 3 बिस्वा 12 विशंवासी की कुल कीमत 1,02,137/— का दुगुना 2,04,274/— अक्षरें दौ लाख चार हजार दौ सौ चौहत्तर रूपयें प्रार्थीगण से प्रतिकर के रूप में वसूल कर विपक्षी खातेदारों को दिये जावें। इसके पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.06 16:54:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: